

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

101 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020

तारीख दायरा

28.12.2020

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

17.02.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री रामजीलाल गूर्जर पुत्र श्री छीतरमल गूर्जर निवासी ग्राम व पोस्ट सेदरिया तहसील निवाई जिला टोंक हाल निवासी सेवानन्द कॉलेज के पास झिलाई रोड निवाई एफ.बी.ओ. मैसर्स अंकित मिष्ठान भण्डार खिडगी मोड झिलाई तहसील निवाई जिला टोक राज0
- 2- मैसर्स अंकित मिष्ठान भण्डार खिडगी मोड झिलाई तहसील निवाई जिला टोक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 17.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.08.2020 को समय 1.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अंकित मिष्ठान भण्डार खिडगी मोड झिलाई तहसील निवाई जिला टोक राज0 पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री रामजीलाल गूर्जर पुत्र श्री छीतरमल गूर्जर निवासी ग्राम व पोस्ट सेदरिया तहसील निवाई जिला टोंक हाल निवासी सेवानन्द कॉलेज के पास झिलाई रोड निवाई एफ.बी.ओ. मैसर्स अंकित मिष्ठान भण्डार खिडगी मोड झिलाई तहसील निवाई जिला टोक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रेता के गोदाम में माया (Khoya) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रेता श्री रामजीलाल गुर्जर को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता रामजीलाल गुर्जर एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम में एक एल्यूमिनियम की ट्रे में लगभग 20 किलोग्राम **मावा (Khoya)** रखे हुये में से पूर्णतया होमोजिनियस कर एक ट्रे में 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक तोलने की मशीन से तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री रामजीलाल गुर्जर को रु0 240/-अक्षरे दौ सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।


आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मावा (Khoya)** खरीदशुदा 1 किलोग्राम को बराबर-बराबर (एक भाग 250 ग्राम) अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक डिब्बों में 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 20-20 बून्दे प्रत्येक शिशी में डालकर अच्छी तरह हिला-मिलाकर ढक्कन को एयर टाइट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2618 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2618 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता श्री रामजीलाल गुर्जर के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3813 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1357/एक्ट/2020/1431 दिनांक 23.10.2020 अनुसार रामजीलाल गुर्जर से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मावा (Khoya)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का मावा (Khoaya) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा (Khoaya) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा (Khoaya) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रामजीलाल गुर्जर पुत्र श्री छीतरमल गुर्जर निवासी ग्राम व पोस्ट सेदरिया तहसील निवाई जिला टोंक हाल निवासी सेवानन्द कॉलेज के पास झिलाई रोड निवाई एफ.बी.ओ. मैसर्स अंकित मिष्ठान भण्डार खिडगी मोड झिलाई तहसील निवाई जिला टोक राज0 पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



17.2.2022
(मसरी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0